यह निरीक्षण प्रतिवेदन प्रधानाचार्य रा0उ0मा0वि0 चिलकिया रामनगर नैनीताल द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालयप्रधानाचार्य रा0उ0मा0वि0 चिलकिया रामनगर नैनीताल के माह 04/2011से 11 /2018 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री शरत श्रीवास्तवसहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं श्री सलीम खान वरि0 लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक18-12-2018से 21-12-2018तक श्री टी0 एस0 नेगी लेखापरीक्षा अधिकारी/ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग-I

1. **परिचयात्मकः** इकाई कीयह प्रथम लेखापरीक्षा थी।

2. (i) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः इकाई द्वारा मुख्यतः कक्षा 9 और 10 के बच्चो को शैक्षिक गतिविधियो प्रदान करना एवं उनका सर्वांगीण विकास हेतु कार्यक्रमों को आयोजित करना है।

3. (इकाई द्वारा संचालित योजनाओं सहित क्रियाकलाप तथा भौगोलिक अधिकार क्षेत्र बताया जाय)

इकाई द्वारा कोषागार द्वारा प्रदत्त धनराशि एवं बाल निधि से प्राप्त राशि से शैक्षिक गतिविधियो का कार्य किया जाता है।

(ii) (अ) विगत तीन वर्षो में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

;रु लाख मे)

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना		गैर स्थापना		समर्पण राशि	बचत (-) `
	स्थापना `	गैर स्थापना `	आवंटन`	व्यय `	आवंटन`	व्यय`		
2015-16	----	-----	54.01	53.50	-----	-----	0.51	----
2016-17	-----	-----	69.91	65.22	-----	-----	4.69	----
2017-18	-----	-----	75.98	75.38	----	-----	0.60	----

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः

वर्ष	योजना का नाम	प्राप्त `	व्यय अधिक्य(+) `	बचत(-) `
2015-16				
2016-17		शून्य		

2017-18				

(iii) इकाई को बजट आवंटन (स्रोत बताया जाय) द्वारा किया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई इकाई को जिला योजना , राज्य सरकार एवं कोषागार मद से धनराशि प्राप्त होती है।श्रेणी (जिस श्रेणी के अन्तर्गतइकाई आती है, उसे इंगित किया जाय) की है।इकाई श्रेणी स के अंतर्गत आती है। विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

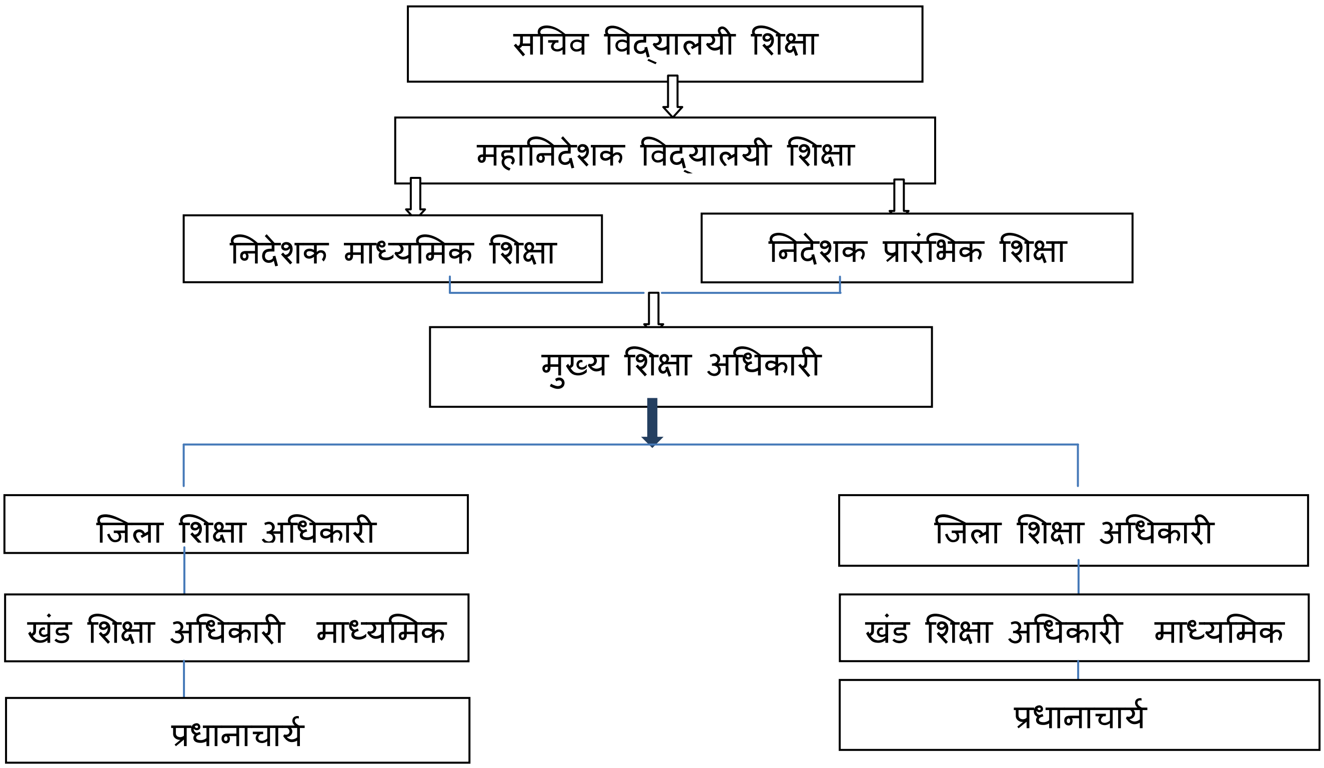

(iv) (संगठनात्मक ढांचा सचिव से प्रारम्भ कर निचले स्तर तक प्रदर्शित किया जाय)

4. **लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः** लेखापरीक्षा में विद्यालय के हाईस्कूल से संबन्धित शैक्षिक गतिविधियो का किया जाना एवं उनके सर्वांगीण विकास हेतु विभिन्न कार्यक्रमों को किया जाना । लेनदेन की लेखापरीक्षा संपादित की गयी। (अनुपालन लेखापरीक्षण दिशा निर्देशों के अनुसार जिन-जिन इकाईयों की लेखापरीक्षा सम्पादित की गयी उन्हें अंकित किया जाय) को आच्छादित किया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वितरण अधिकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक-पृथक जारी किये जा रहे है। यह निरीक्षण प्रतिवेदन प्रधानाचार्य रा0 उ0मा0वि0 चिलकिया रामनगर(जिस इकाई की लेखापरीक्षा सम्पादित की गयी हो उसे अंकित किया जाय) की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह02/13, 03/16, 12/17 एवं 08/18 को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया। (जिस योजना का चयन किया गया उसका नाम अंकित किया जाय) का विस्तृत विश्लेषण किया गया।

बाल निधि योजना, एसएमसी योजना, रमसा योजना

(v) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा18 लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

भाग-दो(ब)

प्रस्तर-1- त्रुटिपूर्ण वेतन निर्धारण के कारण रु 2.62 लाख वेतन एवं भत्तो पर अधिक भुगतान

शासनादेश-395/xxvii/7/2008दिनाक 17/10/2008 के । पैरा 8 के अनुसार जिन कार्मिको की वेतन वृद्धि 01 जनवरी से 30 जून है की बीच की अवधि मे नियुक्ति या प्रोन्नत या सुनिशिचत कैरियर प्रोन्नत योजना या समयमान/चयन वेतनमन के अधीन उन्नयन सहित वित्तीय उन्नयन दिया गया हो, के संबध मे वेतन वृद्धि 01 जनवरी को दी जाएगी और ऐसे कार्मिक जिनकी वेतन वृद्धि 01 जुलाई से 31 दिसम्बर के बीच वेतन वृद्धि है के संबंध मे वेतन वृद्धि 01 जुलाई को दी जायेगी।

कार्यालया प्रधानाचार्य राजकीय माध्यमिक विधायलय चिल्किया रामनगर, नैनीताल मे तैनात दोनों सहायक आधायपक श्री उपेंदर सिंह(LT) एवंम श्री हरद्वारी लाल (LT) कि सेवा पुस्तिका मे (date of joining 1.11.1999 थी। श्री उपेंदर सिंह एवंम श्री हरद्वारी लाल की सेवा पुस्तिका की नमूना जाँच करने पर यह देखा गया की दिनांक 30/8/2011 को वेतन+ग्रेड वेतन (15910+4800=20710) पा रहे थे । दिनांक 1/9/2011 को एक वेतन वृद्धि अतरिक्त देने के कारण वेतन+ग्रेड रु (16530+4800=21330) कर दिया गया है । जब की वार्षिक वेतन वृद्धि जुलाई/2011 को दी जा चुकी थी। उक्त दोनों सहायक अधयापक को एक अतरिक्त वेतन वृद्धि देने के कारण माह 1/9/2011 से माह 11/2018 तक कुल रु. 262612/- वेतन एवं भत्तों पर अधिक भुगतान किया गया है,। (विस्तृत विवरण संलग्नक-1एवं 2 में)
लेखा परीक्षा द्वारा इस संदर्भ में पूछे जाने पर इकाई ने अपने उत्तर में तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि करते हुये बताया की त्रुटिपूर्ण वेतन निर्धारण लिपिकीय त्रुटि होने के कारण,उच अधिकारियों के संज्ञान मे ला कर नियमानुसार कार्वाही की जायेगी। अतः उक्त कार्मिकों के त्रुटिपूर्ण वेतन निर्धारण का प्रकरम उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाकर संबंधित शासनादेश के सुसंगत प्रावधानों के अंतर्गत नियमानुसार वेतन निर्धारण किये जाने हेतु प्रकाश लाया जाता है।

STAN

प्रस्तर-1- बाल निधि (कक्षा -10) में एक मद (शुल्क) में प्राप्त धनराशि से अन्य मद में व्ययावर्तन (Diversion) रु. 2.54 लाख।

विद्यालय की बाल निधि में निम्नलिखित शुल्क सम्मिलित थेः जलपान शुल्क, विज्ञान शुल्क, परीक्षा शुल्क, विद्युत शुल्क, श्रव्य शुल्क, स्कॉउट शुल्क, निर्धन छात्र निधि, शुल्क रेड क्रॉस शुल्क, क्रीड़ा शुल्क, कम्प्यूटर शुल्क एवं वाचनालप शुल्क।

इकाई की उक्त निधि से संबंधित पंत्रिकाओं/अभिलेखों की लेखापरीक्षा में जॉच में पाया गया कि कम्प्यूटर शुल्क पंजिका में प्राप्त जमा राशि से मध्यान्न भोजन (MDM), MDM किचन निर्माण हेतु सामग्री का क्रय, शौचालय निर्माण तथा विद्‌युत बिलों का भुगतान किया गया था।

इस प्रकार स्काउट शुल्क पंजिका में प्राप्त जमा राशि से अन्य मदों के खर्चे (जैसे जलपान, मध्यान्न भोजन आदि) किये गये थे। विवरण निम्नवत है-

(i) कम्प्यूटर शुल्क में प्राप्त राशि से व्यावर्तन (Diversion)

दिनांक	मद जिस पर व्यय किया गया	धनराशि (रु. में)
22.07.2009	विद्‌युत बिल	8385
13.10.2009	MDM	8743
10.11.2009	MDM	12311
02.12.2009	MDM	10809
07.01.10	MDM	10839
16.02.10	MDM	5946
26.02.10	MDM	14911
31.08.10	MDM	11532
23.09.10	MDM	2015
06.10.10	MDM	10873
03.11.10	MDM	20000
11.12.10	MDM	10000
08.03.11	MDM	8821
08.03.11	MDM	4000
05.04.11	MDM	10353
08.12.11	MDM	7000
17.10.12	MDM	19142
09.04.12	शौचालय निर्माण	19000
02.12.13	MDM (किचन निर्माण सामग्री क्रय)	31750
10.10.15	विद्‌युत बिल	4151
कुल योगः-		₹ 230584

(ii) स्काउट शुल्क में प्राप्त राशि से व्यावर्तन (Diversion)

दिनांक	मद जिस पर व्यय किया गया	धनराशि (रु. में)
06.09.10	जलपान	3520
20.08.16	जलपान	2320
17.03.17	जलपान	2660
11.12.10	MDM	6000
07.02.12	जलपान	2500
20.08.16	जलपान	3520
17.03.17	जलपान	2660
कुल योगः-		₹ 23180

इस प्रकार इकाई द्वारा कम्प्यूटर शुल्क में प्राप्त धनराशि से रु. 230584 तथा स्काउट शुल्क में प्राप्त धनराशि से रु. 23180/- अर्थात कुल रु. 253764 का अन्य मदों में व्यावर्तन किया गया।

इकाई द्वारा बाल निधि में एक मद (शुल्क) की जमा राशि से अन्य मद में व्यय बिना उच्च अधिकारियों के आदेश/निर्देश के किया गया। कम्प्यूटर शुल्क व स्काउट शुल्क में प्राप्त राशि से क्रमशः कम्प्यूटर व स्काउट से संबंधित गतिविधियों में व्यय किया जाना अपेक्षित था।

इंगित करने पर इकाई द्वारा उत्तर में बताया गया कि बाल निधि से प्राप्त राशि के व्यय संबंधी स्पष्ट दिशानिर्देश न होने के कारण तथा कार्य की आवश्यकता के कारण मदों में परिवर्तन कर आवश्यकता के अनुसार व्यय किया जाता है।

उत्तर संतोषजनक नहीं है क्योंकि एक मद/शुल्क में प्राप्त राशि से उसी मद से संबंधित कार्यों पर व्यय किया जाना चाहिए न कि व्यावर्तन कर अन्य मदों से संबंधित कार्य। अतः रु. 2.54 लाख का व्यावर्तन का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-III

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या	STAN
यह इकाई की प्रथम लेखापरीक्षा है।			

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
यह इकाई की प्रथम लेखापरीक्षा है।				

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

शून्य

<u>भाग-V</u>

<u>आभार</u>

1. कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु प्रधानाचार्य रा0 उ0 मा0 वि0 चिलकिया रामनगर तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है। तथापि **लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः**
2. **शून्य**
3. **सतत् अनियमितताएः**

   शून्य"
4. **लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया**

क्र.सं.	नाम	अवधि
1.	श्री चंडी प्रसाद बलोदी	04.12.10 से 31.07.11
2.	श्री रामार्जुन पटेल	01.08.11 से 31.03.15
3.	श्री हनुमान प्रसाद यादव	01.04.15 से 19.08.15
4.	श्री अशोक कुमार	20.08.15 से 18.09.15
5.	श्री हनुमान प्रसाद यादव	22.09.15 से 26.02.16
6.	श्री गोपाल सिंह बिष्ट	27.02.16 से 05.05.16
7.	श्री प्रकाश नैलवाल	06.05.16 से 09.09.16
8.	श्री महेश चन्द्र सक्सेना	10.09.16 से 16.01.18
9.	श्री प्रकाश नैलवाल	17.01.18 से वर्तमान तक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति प्रधानाचार्य रा0 उ0 मा0 वि0 चिलकिया रामनगर नैनीताल को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उप महालेखाकार/उप महालेखाकार (सामाजिक क्षेत्र) को प्रेषित कर दी जाये।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/सा.क्षे.